भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1408
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा राहत के लिए जारी की गई निधि का उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र

1408. श्री अरुण गोविलः

श्री दामोदर अग्रवालः

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

सुश्री कंगना रनौतः

श्री राजकुमार चाहरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से राज्यों और संघ / राज्यक्षेत्रों को सहायता जारी करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है या प्रक्रियात्मक मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों/संघ राजयक्षेत्रों को एनडीआरएफ या अन्य आपदा प्रबंधन मदों के तहत केंद्रीय सरकार से निधियां प्राप्त करने के बाद एक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र (यूसी) जमा करना अनिवार्य है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2014 से अब तक एनडीआरएफ और अन्य केंद्रीय आपदा प्रबंधन तंत्र के तहत विशेषकर हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों को कितनी निधि जारी की गई है; और

(च) विशेषकर हिमाचल प्रदेश सहित राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों को उक्त अवधि के दौरान जारी की गई निधि के एवज़ में प्राप्त उपयोग संबंधी प्रमाणपत्रों की संख्या और अवधि का ब्यौरा क्या है?

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1408, दिनांक 09.12.2025
उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क से (च): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। राज्य के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संपूर्ण प्रक्रिया के लिए एनडीआरएफ/एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में परिकल्पित स्थापित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जो मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है। एसडीआरएफ का केंद्रीय हिस्सा दो समान किस्तों में जारी किया जाता है, पहली जून में और दूसरी दिसंबर में, बशर्ते दिशानिर्देशों की शर्तें पूरी हों, जिनमें पहले जारी की गई धनराशि जमा करने और व्यय विवरण से संबंधित जानकारी शामिल है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशवार धनराशि का आवंटन नहीं है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की गणना के लिए त्रि-स्तरीय प्रणाली अपनाई जाती है। सबसे पहले, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) द्वारा मौके पर ही आकलन किया जाता है, जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ संबंधित राज्य के अधिकारी भी शामिल होते हैं। इसके बाद आईएमसीटी की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करते हैं और जिसमें विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके बाद, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा एससी-एनईसी की सिफारिशों पर विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य होते हैं। एचएलसी के अनुमोदन के बाद एनडीआरएफ से धनराशि जारी की जाती है।

एसडीआरएफ/एनडीआरएफ की योजना के अनुसार, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि एसडीआरएफ (एनडीआरएफ से केंद्रीय सहायता सहित) से प्राप्त धनराशि का उपयोग वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाए जिनके लिए इसे जारी किया गया था, तथा इसका उपयोग केवल व्यय मदों पर और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार किया जाए। राज्य

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1408, दिनांक 09.12.2025

महालेखाकार को सहायता की मदों और मानदंडों के अनुसार व्यय की निगरानी करनी होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एसडीआरएफ योजना के अनुसार, हर साल एसडीआरएफ का लेखा-परीक्षण करते हैं।

वर्ष 2014-15 से 2025-26 के दौरान राज्यों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से धनराशि के आवंटन और रिलीज का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत निधियों के आवंटन और धनराशि जारी होने के राज्य-वार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु में)

क्र.सं.	राज्य	केंद्र और राज्य के अंश सहित एसडीआरएफ के तहत आवंटन					एसडीआरएफ से जारी केंद्रीय अंश					एनडीआरएफ से जारी धनराशि (सभी आपदाओं के लिए)				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आंध्र प्रदेश	367.26 @	440.00	462.00		509.00	230.85	330.00	346.50	363.75	458.10	578.03	356.74	702.72	--	1004.88
2	अरुणाचल प्रदेश	44.67	52.00	55.00	57.00	60.00	40.20	46.80	49.50	51.30	54.00	125.96	--	51.06	32.44	132.49
3	असम	320.62	460.00	483.00	507.00	532.00	425.97 #	414.00	434.70	456.30	478.80	0.00	--	--	--	--
4	बिहार	406.57	469.00	492.00	517.00	543.00	304.93	351.745	369.00	489.56	101.815 *	0.00	--	--	1363.47	--
5	छत्तीसगढ़	183.93	241.00	253.00	265.00	278.00	134.665	249.725 #	94.875	194.25 #	349.575 #	0.00	522.31	313.385	49.31	--
6	गोवा	3.60	4.00	4.00	4.00	4.00	3.985	3.00	3.00	3.00	1.80	0.00	--	--	--	--
7	गुजरात	610.33	705.00	740.00	777.00	816.00	457.75	528.75	555.00	500.00	449.95	0.00	--	--	--	--
8	हरियाणा	234.48	308.00	323.00	339.00	356.00	255.41 #	203.43 #	357.75	254.25	320.00	0.00	--	--	--	--
9	हिमाचल प्रदेश	158.95	236.00	248.00	260.00	273.00	143.06	212.40	223.20	234.00	245.70	65.30	82.215	81.22	63.23	227.29
10	जम्मू एवं कश्मीर	209.62	255.00	268.00	281.00	295.00	278.50 #	229.50	241.20	--	252.90 #	43.53	--	--	--	--
11	झारखंड	315.36	364.00	382.00	401.00	421.00	236.52	273.00	286.50	300.75	315.75	0.00	--	--	--	--
12	कर्नाटक	195.65	276.00	290.00	305.00	320.00	146.74	207.00	217.50	228.75	288.00	271.38	1645.53	2292.50	913.044	959.84
13	केरल	159.33	185.00	194.00	204.00	214.00	119.50	138.75	145.50	153.00	192.60	0.00	--	--	164.72	2904.85
14	मध्यप्रदेश	477.39	877.00	921.00	967.00	1016.00	358.04	657.75	690.75	725.25	914.40	83.13	1011.99	863.81	502.09	334.00
15	महाराष्ट्र	538.08	1483.00	1557.00	1635.00	1717.00	403.56	1112.25	583.875	1810.125 #	1287.75	1426.95	1592.96	2224.78	--	2088.59
16	मणिपुर	8.78	19.00	20.00	21.00	22.00	3.95	21.05 #	18.00	18.90	9.90	0.00	38.71	14.65	110.82	--
17	मेघालय	17.81	24.00	25.00	27.00	28.00	16.03	21.60	22.50	24.30	12.60	30.56	--	--	--	--
18	मिजोरम	10.40	17.00	18.00	19.00	20.00	9.36	15.30	16.20	17.10	18.00	0.00	--	--	35.97	--
19	नागालैंड	6.04	10.00	10.00	11.00	11.00	5.44	9.00	9.00	9.90	9.90	19.43	15.11	0.96	25.01	195.99
20	ओडिशा	475.98	747.00	785.00	824.00	865.00	276.98	560.25	588.75	618.00	778.50	0.00	574.6925	425.66	--	341.72
21	पंजाब	270.96	390.00	409.00	430.00	451.00	203.22	292.50	306.75	203.465	321.99	0.00	--	--	--	--
22	राजस्थान	730.10	1103.00	1158.00	1216.00	1277.00	547.58	827.25	868.50	912.00	957.75	0.00	1378.13	990.82	607.77	526.14
23	सिक्किम	27.65	31.00	33.00	34.00	36.00	24.89	27.90	29.70	30.60	32.40	0.00	--	--	--	54.93
24	तमिलनाडु	356.78	679.00	713.00	748.00	786.00	133.795	643.045 #	534.75	561.00	707.40	0.00	1000.00 $	1813.66	351.81	900.31
25	तेलंगाना	251.23 @	274.00	288.00	302.00	317.00	153.90	205.50	216.00	--	226.50 *	18.51	468.20	328.16	58.40	--
26	त्रिपुरा	23.47	31.00	33.00	34.00	36.00	21.12	27.90	29.70	30.60	32.40	0.00	--	--	--	171.74
27	उत्तर प्रदेश	468.44	675.00	709.00	744.00	781.00	351.33	506.25	531.75	558.00	351.45	581.29	3305.66	1062.09	119.67	157.23
28	उत्तराखंड	143.02	210.00	220.00	231.00	243.00	64.295	253.36 #	198.00	207.90	218.70	216.81	--	--	--	--
29	पश्चिम बंगाल	370.51	516.00	542.00	569.00	598.00	277.88	387.00	406.50	426.75	269.10	0.00	459.71	275.82	324.78	--
	कुल	**7387.01**	**11081.00**	**11635.00**	**12214.00**	**12825.00**	**5629.45**	**8756.00**	**8374.95**	**9382.80**	**9658.13**	**3460.88**	**12451.96**	**11441.30**	**4722.53**	**10000.00**

Including arrears of SDRF for the previous year.

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1408, दिनांक 09.12.2025

अनुलग्नक

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत निधियों के आवंटन और धनराशि जारी होने के राज्य-वार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु .में)

क्र.सं.	राज्य	केंद्र और राज्य के अंश सहित एसडीआरएफ के तहत आवंटन					एसडीआरएफ से जारी केंद्रीय अंश					एनडीआरएफ से जारी धनराशि (सभी आपदाओं के लिए)				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2024-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	आंध्र प्रदेश	534.00	1192.80	1192.80	1252.80	1315.20	324.15	895.20	895.20	940.00	987.20	570.91	657.029	351.43	--	--
2.	अरुणाचल प्रदेश	63.00	222.40	222.40	233.60	245.60	56.70	200.00	200.00	210.40	220.80	--	59.34	--	--	--
3.	असम	559.00	686.40	686.40	720.80	756.80	503.10	617.60	617.60	648.80	680.80	--	44.37	--	250.00	--
4.	बिहार	570.00	1510.40	1510.40	1586.40	1664.80	631.12	1132.80	1132.80	1189.60	1248.80	953.17	1255.27	1038.96	--	--
5.	छत्तीसगढ़	292.00	460.80	460.80	484.00	508.00	177.30	345.60	345.60	181.60	181.60	--	--	--	--	--
6.	गोवा	4.00	12.00	12.00	12.80	12.80	4.20	9.60	9.60	9.60	9.60	--	--	--	--	--
7.	गुजरात	856.00	1412.00	1412.00	1482.40	1556.80	886.80	1059.20	1059.20	556.00	1140.00	--	--	1000.00	--	--
8.	हरियाणा	374.00	524.00	524.00	550.40	577.60	227.10	392.80	392.80	412.80	433.60	--	--	--	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	287.00	363.20	363.20	380.80	400.80	197.23	327.20	327.20	342.40	360.80	518.06	2.90	--	214.26	787.25
10.	जम्मू एवं कश्मीर #	310.00	--	--	--	--	405.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11.	झारखंड	442.00	605.60	605.60	635.20	667.20	331.50	454.40	454.40	--	476.80	--	--	200.00	--	--
12.	कर्नाटक	336.00	843.20	843.20	885.60	929.60	204.00	632.80	632.80	664.00	697.60	3208.28	689.27	1623.30	--	--
13.	केरल	225.00	335.20	335.20	352.00	369.60	136.65	251.20	251.20	264.00	277.60	--	--	--	939.83	--
14.	मध्यप्रदेश	1066.00	1941.60	1941.60	2038.40	2140.80	647.10	1456.00	1456.00	1528.80	1605.60	1712.14	1891.79	600.50	--	--
15.	महाराष्ट्र	1803.00	3436.80	3436.80	3608.80	3788.80	1352.25	2577.60	2577.60	2706.40	2841.60	5189.40	420.12	1056.39	--	--
16.	मणिपुर	23.00	37.60	37.60	39.20	41.60	30.60	33.60	33.60	35.20	18.80	--	26.53	--	--	--
17.	मेघालय	29.00	58.40	58.40	60.80	64.80	38.70	52.80	52.80	27.20	27.20	--	16.52	--	--	--
18.	मिजोरम	20.00	41.60	41.60	43.20	46.40	18.00	37.60	37.60	39.20	41.60	--	--	--	--	--
19.	नागालैंड	12.00	36.80	36.80	38.40	40.80	10.80	32.80	32.80	34.40	36.80	176.52	1.335	--	107.304	--
20.	ओडिशा	909.00	1711.20	1711.20	1796.80	1886.40	552.00	1283.20	1283.20	1348.00	1415.20	3294.10	500.00	500.00	--	--
21.	पंजाब	474.00	528.00	528.00	554.40	582.40	412.37	474.43	396.00	416.00	436.80	--	--	--	--	--
22.	राजस्थान	1340.00	1580.00	1580.00	1659.20	1742.40	1005.00	1184.80	1184.80	1244.80	1307.20	1949.59	68.65	--	13.46	--
23.	सिक्किम	38.00	44.80	44.80	47.20	49.60	34.20	40.00	40.00	42.40	44.80	--	73.86	55.23	--	81.89
24.	तमिलनाडु	825.00	1088.00	1088.00	1142.40	1200.00	500.85	816.00	816.00	856.80	900.00	--	286.91	566.36	--	--
25.	तेलंगाना	333.00	479.20	479.20	503.20	528.00	487.50	359.20	359.20	188.80	584.80	--	--	--	--	--
26.	त्रिपुरा	38.00	60.80	60.80	63.20	67.20	34.20	54.40	54.40	56.80	60.80	--	12.93	--	--	--
27.	उत्तरप्रदेश	820.00	2062.40	2062.40	2165.60	2273.60	849.30	1546.40	1546.40	812.00	1664.80	--	--	--	--	--
28.	उत्तराखंड	255.00	832.80	832.80	874.40	918.40	229.50	749.60	749.60	787.20	826.40	--	--	--	--	--
29.	पश्चिम बंगाल	628.00	1078.40	1078.40	1132.80	1189.60	650.40	808.80	808.80	849.60	892.00	958.33	2250.28	350.13	--	--
कुल		**13465.00**	**23186.40**	**23186.40**	**24344.80**	**25,565.60**	**10,937.62**	**17825.63**	**17747.20**	**16392.80**	**19419.60**	**18530.50**	**8257.10**	**7342.30**	**1524.85**	**869.14**

 # अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1408, दिनांक 09.12.2025

अनुलग्नक

वर्ष 2024-25 से 2025-26 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत निधियों के आवंटन और धनराशि जारी होने के राज्य-वार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण (आज तक)

(करोड़ रु में)

क्र.सं.	राज्य	केंद्र और राज्य केअंश सहित एसडीआरएफ के तहत आवंटन		एसडीआरएफ से जारी केंद्रीय अंश		एनडीआरएफ से जारी धनराशि (सभी आपदाओं के लिए)	
		2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	1380.80	1449.60	1036.00	544.00	56.895	--
2	अरुणाचल प्रदेश	256.80	270.40	115.60	237.20#	--	34.536
3	असम	795.20	834.40	716.00	375.60	29.017	354.84
4	बिहार	1748.00	1836.00	1311.20	688.40	--	76.704
5	छत्तीसगढ़	533.60	560.00	380.80	400.00#	33.243	--
6.	गोवा	13.60	15.20	10.40	5.60	31.50	--
7.	गुजरात	1635.20	1716.00	600.00	1854.00#	--	76.239
8.	हरियाणा	606.40	636.80	455.20	238.80	--	26.241
9.	हिमाचल प्रदेश	420.00	441.60	378.40	397.60	84.564	582.11
10.	झारखंड	701.60	736.00	1027.20	276.00	--	33.294
11.	कर्नाटक	976.00	1024.80	732.00	768.80	3528.447	--
12.	केरल	388.00	408.00	291.20	153.20	--	114.488
13.	मध्यप्रदेश	2248.00	2360.00	1686.40	885.20	--	89.145
14.	महाराष्ट्र	3978.40	4176.80	2984.00	3132.80	--	138.09
15.	मणिपुर	44.00	45.60	50.00	29.20 #	12.15	131.08
16.	मेघालय	67.20	71.20	59.60	60.00#	11.982	--
17.	मिजोरम	48.00	50.40	43.20	22.80	18.36	14.40
18.	नागालैंड	42.40	44.80	38.40	40.00	181.80	14.42
19.	ओडिशा	1980.80	2080.00	1485.60	780.00	45.086	--
20.	पंजाब	611.20	642.40	458.40	481.60	29.601	--
21.	राजस्थान	1828.80	1920.00	1372.00	720.00	--	87.51
22.	सिक्किम	52.00	54.40	47.20	48.80	229.83	87.762
23.	तमिलनाडु	1260.00	1322.40	944.80	496.00	360.086	522.34
24.	तेलंगाना	555.20	582.40	416.80	218.40	42.783	57.04
25.	त्रिपुरा	70.40	74.40	71.60	25.20	186.40	--
26.	उत्तर प्रदेश	2388.00	2507.20	1748.40	1836.00#	172.95	--
27.	उत्तराखंड	964.00	1012.00	434.00	911.20	21.30	291.15
28.	पश्चिम बंगाल	1248.00	1311.20	936.00	491.60	84.771	--
	कुल	**26841.60**	**28184.00**	**19830.40**	**16118.00**	**5160.76**	**2731.39**

= includes arrears of previous year.